न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर

महावीर खराड़ी आर0ए0एस0

अपील सं0 22/2019

1. रेवन्तमल पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट रिबिया तहसील व जिला चूरू ।
2. मगनीराम पुत्र परसाराम जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट रिबिया तहसील व जिला चूरू ।
3. मुली पत्नी स्व0 हनुमानसिहं जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट रिबिया तहसील व जिला चूरू ।
4. भंवरलाल पुत्र स्व0 हनुमानसिहं जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट रिबिया तहसील व जिला चूरू ।
5. राजेन्द्रकुमार पुत्र स्व0 हनुमानसिहं जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट रिबिया तहसील व जिला चूरू ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय चूरू ।

रेस्पोडेण्टस

उपस्थितः— 1. श्री धन्नाराम सैनी अधिवक्ता अपीलांट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू जिला चूरू के निर्णय दिनांक 02.12.2016 के विरूद्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः—10.03.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.12.2016 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खेत ख0न0 596/304, 597/304 व 598/304 के आवागमन हेतु जो रास्ता कायम किया गया है वो पूर्व में आवागमन हेतु नही रहा है । वादगत खसरो में आवागमन हेतु जो रास्ता पूर्व में रहा है वो आज भी यथावत चल रहा है अतः वादगत खसरों में आवागमन हेतु दो रास्ते कायम हो गये है जिनके विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत खसरा नम्बर 596/304, 597/304 व 598/304 वाके रोही रिबिया तहसील व जिला चूरू में स्थित है । वादगत खसरा नम्बरों में आवागमन हेतु अपीलांट की अनुमति सहमति के बिना तहसीलदार चूरू द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.16 को दस्तावेजात प्रस्तुत किया तथा अपीलांट के खेत में से गलत रूप से नक्शा बनाकर रास्ता कायम करने की मांग की गयी । हल्का पटवारी की रिपोर्ट में खसरा नम्बर 597/304 व 598/304 में पूर्व में आवागमन हेतु रास्ता स्थित बताकर नजरिया नक्शा पेश किया गया । किन्तु हकिकत में ऐसा कोई रास्ता आवागमन हेतु पूर्व में वादगत खसरो में कभी भी स्थित नही रहा है । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, सुनवाई का नोटिस दिये बिना गलत रूप से गलत स्थान पर रास्ता कायम कर दिया । खसरा न0 597/304 व 598/304 में जंहा रास्ता कायम किया है वहां पर काफी उंचाई पर आवागमन संभव नही है । अधिनस्थ न्यायालय की उक्त आदेश की पालना में दिनांक 29.05.18 को रास्ता बाबत ईतंकाल भी दर्ज कर दिया गया हे । अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो नया रास्ता कायम किया गया है वो उंचे टिले की भूमि पर ऐसे स्थान पर कायम किया गया है जहा से आवागमन संभव नही है। वादगत ख0नम्बरों में मौहुदा आवागमन के रास्ते को भी बंद नही किया जा सकता है ओर ना ही सरकाया जा सकता है इस कारण से अपीलांट के खेत में से दो रास्ते कयम हो गये है । खसरा नम्बर 596/304, 597/304 व 598/304 में मौके पर रास्ता चालू है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि हल्का पटवारी द्वारा मौका रिपोर्ट मौका देखकर पत्रावली पर पेश नही की गयी है तथा जो नक्शा हल्का पटवारी द्वारा पेश किया गया है उसमें कंही भी अंकित नही किया गया है कि पत्रावली पर पेश नक्शा मौका देखकर अपीलांट या अन्य की उपस्थिति में बनाया गया है । अधिनस्थ न्यायालय ने बिना किसी आधार व साक्ष्य के रास्ता चालू होना माना है । संरपंच द्वारा प्रमाणित करवाया गया है । तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में सक्षम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवम नियम 58,59,60,66 व 86 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त धाराओं में व नियमों में रास्ता कायम करवाने का कोई प्रावधान नही है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा

251 व 251 ए के विधि अनुसार सुनवाई का अवसर देकर रास्ता कायम किया जा सकता है । अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.12.2016 को अपास्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे ।

3. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन किया गया तहसीलदार द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 व 132 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवम नियम 58,59,60,66 व 86 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें खसरा नम्बर 596/304, 597/304 व 598/304 में मौके पर रास्ता चालु है परन्तु राजस्व अभिलेख एवम राजस्व नक्शे में अंकन नही है । जिस हेतु संबंधित पटवारी हल्का व भूअभिलेख निरीक्षक ने अपनी मौका रिपोर्ट में मौके पर उक्त रास्ता काफी समय से चालू बताया है साथ ही तहसीलदार चूरू ने उक्त रास्ते की राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु स्पष्ट अभिशंषा की है । वादगत खसरा में रास्ते के आवागमन बाबत सहमति पत्रो पर भी हस्ताक्षर करावायें गये है तथा उन्हे संरपंच द्वारा प्रमाणित भी करवाया गया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत रिबिया द्वारा भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है । जिसके आधार पर वादगत खसरा नम्बर 596/304, 597/304 व 598/304 में आवागमन हेतु रास्ता कायम किया गया है । अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे व अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.12.2016 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस सूनी व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादगत खसरा नम्बर 596/304, 597/304 व 598/304 रेवंन्तमल, मगनीराम पुत्र परसाराम, मुली पत्नी स्व0 हनुमानसिंह, भंवरलाल, राजेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 हनुमानसिंह की खातेदारी भूमि है जो रेकार्डेड खातेदार है । वादगत खसरा नम्बरो में आवागमन हेतु जो रास्ता कायम किया गया है जिस बाबत तहसीलदार को अधिनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251, 251 ए में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिये था । रास्ता कायम करने से पूर्व हल्का पटवारी को मौके पर प्रभावित काश्तकारों की उपस्थिति में उनसे सहमति प्राप्त की जानी चाहिये थी अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में जो सहमति पत्र उपलब्ध है उसमें वादगत खसरो के खातेदारों के सहमति के हस्ताक्षर नही है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो रास्ता आवागमन हेतु कायम किया गया है वो रास्ता अधिक उंचाई पर होने के कारण आवागमन के काम मे नही लिया जा रहा है । अपीलांट द्वारा वादगत खसरा नम्बरों में एक अलग से ही रास्ता कायम कर आवागमन हेतु उपयोग में लिया जा रहा है जिसका नजयिा नक्शा पेश किया गया है इस तरह से खसरा नम्बर 597/304 व598/304 में दो रास्ते कायम हो गये है।

5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट सवीकार की जाती है एवम अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 02.12.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) कर निर्देश दिये जाते है कि वादगत खसरा नम्बर 596/304, 597/304 व 598/304 में आवागमन हेतु सभी काश्तकारों की आपसी सहमति से रास्ता कायम किया हुआ तो राजस्व रेकार्ड में अंकन करने में कोई समस्या

नही होनी चाहिये एवम आवागमन हेतु रास्ते बाबत नायब तहसीलदार को मौके पर भेजकर सभी पक्षकारों की उपस्थिति में आपसी सहमति से सुगम सरल रास्ता कायम किया जावे व उसी रास्ते का राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावे । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।

6. निर्णय आज दिंनाक 10.03.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महावीर खराड़ी)
भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर